

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 22 जून, 2017

संख्या 20/एस.टी.-1/ हरियाणा अध्यादेश संख्या 1 /2017.- चूंकि हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अध्यादेश, 2017 के अधीन बकाया देयों की वसूली समीचीन है।

इसलिए, अब हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अध्यादेश, 2017 (2017 का 1), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्याधीन, 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए स्कीम अर्थात् बकाया देयों की वसूली के लिए हरियाणा एक बार व्यवस्थापन स्कीम, 2017 बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम ।** 1. यह स्कीम "बकाया देयों की वसूली के लिए हरियाणा एक बार व्यवस्थापन स्कीम, 2017," कही जा सकती है ।
- परिभाषाएं ।** 2. (1) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,-
(क) "व्यक्ति" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो बकाया देयों का भुगतान करने के लिए दायी है चाहे सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकृत है या नहीं; तथा
(ख) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इस स्कीम से संलग्न प्ररूप।
(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा सुसंगत अधिनियमों में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः इन अधिनियमों में दिए गए हैं।
- स्कीम का कार्यक्षेत्र ।** 3. (1) यह स्कीम निम्नलिखित सुसंगत अधिनियमों पर लागू होगी:-
(I) हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम 20) (निरसित);
(II) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का हरियाणा अधिनियम 6);
(III) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 56);
(IV) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का हरियाणा अधिनियम 13) (निरस्त);
(V) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का हरियाणा अधिनियम 8) (वादाधीन);
(VI) हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का हरियाणा अधिनियम 23);
(VII) पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 16) ।
(2) कोई व्यक्ति इस स्कीम को किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन स्कीम के अंतर्गत आने वाली समय अवधि के लिए चुन सकता है ।
(3) कोई व्यक्ति प्रत्येक अधिनियम जिसके लिए वह इस स्कीम को चुनना चाहता है, के अधीन बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए प्ररूप ओ.टी.एस.-1 में अलग से आवेदन करेगा ।
- बकाया देय व्यवस्थापन ।** 4. (1) इस स्कीम के अधीन बकाया देयों के व्यवस्थापन को चुनने वाले किसी व्यक्ति को नीचे यथावर्णित बकाया देयों की श्रेणी पर निर्भर करते हुए किसी राशि का व्यवस्थापन के रूप में बकाया देयों के बदले भुगतान करना होगा:-

क्रम संख्या	बकाया देयों की श्रेणी	बकाया देयों के बदले में भुगतान की जाने वाली व्यवस्थापन राशि	माफी की सीमा
1	2	3	4
1.	कर	इस स्कीम के अधीन आने वाले अधिनियमों में 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए उद्गृहीत या उद्ग्रहीव्य	कोई छूट नहीं

		कर की पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा।	
2.	ब्याज	इस स्कीम के अधीन आने वाले अधिनियमों में 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए उद्गृहीत या उद्ग्रहीत ब्याज की राशि का 10 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	ब्याज राशि की 90 प्रतिशत छूट
3.	शस्ति	(क) सुसंगत अधिनियमों के अधीन कर छिपाने या कर से बचने के प्रयास के अपराध के लिए उद्गृहीत शस्ति राशि का 50 प्रतिशत (ख) सुसंगत अधिनियमों के अधीन अन्य अपराधों के लिए शस्ति राशि का 25 प्रतिशत	(क) शस्ति राशि का 50 प्रतिशत (ख) शस्ति राशि का 75 प्रतिशत

- (2) स्कीम के अधीन वसूले गए बकाया देयों पर प्रथम अप्रैल 2017 से व्यवस्थापन राशि से भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए भुगतान योग्य खंड (1) के अनुसार व्यवस्थापन राशि के भुगतान पर माफ समझा जाएगा।
- (3) सुसंगत अधिनियम के लिए स्कीम के अधीन भुगतान योग्य व्यवस्थापन राशि ऐसे सुसंगत अधिनियम के खजाने में जमा करवाई जाएगी।

आवेदन प्ररूप

5. स्कीम को चुनने वाला व्यक्ति 28 जून, 2017 को या उससे पूर्व, स्कीम के खंड 4 में दी गई तालिका के खाना 3 के अनुसार भुगतान योग्य व्यवस्थापन राशि की पूर्ण अदायगी के सबूत सहित प्ररूप ओ टी एस -1 में देते हुए निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

प्ररूप की जांच।

6. (1) जिले में पदस्थ दो वरिष्ठतम् आबकारी तथा कराधान अधिकारी (सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी से भिन्न) तथा सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी से मिलकर बनने वाली समिति, ऐसे प्ररूप की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर प्ररूप ओ टी एस 1 की जांच करेगी तथा सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) को रिपोर्ट करेगी।
- (2) उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर), जहां उसे ये विश्वास करने का कारण हो कि व्यक्ति द्वारा प्ररूप ओ टी एस 1 में उपलब्ध करवाई गई सूचना तात्त्विक विशिष्टियों में अधूरी अथवा गलत है तो वह, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, व्यक्ति को उसे निर्देश देते हुए कारण बताओ नोटिस तामील करेगा कि क्यों न उसका आवेदन रद्द कर दिया जाना चाहिए या क्यों न उससे इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार भुगतान न की गई या कम भुगतान की गई भुगतानयोग्य राशि अदा करने की अपेक्षा की जानी चाहिए।
- (3) उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद आवेदन पर समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर समाधान के आदेश अथवा अस्वीकृती के आदेश पारित करेगा। यदि प्ररूप रद्द कर दिया जाता है तो प्ररूप सहित व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई राशि अधिनियम के अधीन उसके दायित्वों के विरुद्ध समायोजित की जाएगी और यह राशि वापिस नहीं की जाएगी।
- (4) उपरोक्त खण्ड (1) तथा (3) में वर्णित समय अवधि आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा अपवादिक मामलों में तीस दिन तक बढ़ायी जा सकती है।

लम्बित मामलों की समाप्ति

7. उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) द्वारा समाधान के आदेश पारित किए जाने की दशा में बकाया राशियों जिनके सम्बन्ध में स्कीम को चुना गया है, उन बकाया राशियों का पूर्ण और अंतिम समायोजन समझा जायेगा। स्कीम के अधीन बकाया देय राशियों के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकरण के समक्ष लम्बित सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएगी। सभी लम्बित मामले समाधान के आदेश अथवा अस्वीकृती के आदेश पारित किए जाने तक स्थगित रखी जाएंगी।

परन्तु स्कीम के अधीन स्थगित की गई कार्यवाहियों के कारण गंवाई गई समय अवधि को सुसंगत अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा अवधि की गणना करते समय निकाल दिया जाएगा।

- सन्देहों को दूर करना
8. (1) इस स्कीम में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस स्कीम के अधीन दिए गए लाभ, छूट या उन्मुक्ति से भिन्न व्यक्ति को कोई लाभ, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करना है।
- (2) स्कीम में कोई अस्पष्टता या विवाद होने की दशा में, आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा का उस पर निर्णय अंतिम होगा।

प्ररूप ओ टी एस-1									
बकाया देयों की वसूली के लिए हरियाणा एक बार व्यवस्थापन स्कीम, 2017 को चुनने के लिए आवेदन प्ररूप।									
(देखिए खण्ड 5)									
क्रम संख्या									
1	व्यक्ति का नाम								
	स्थायी लेखा संख्या								
	मोबाईल नं०								
	ई-मेल आई डी								
	एस०सी०ओ०/बुध/दुकान/भवन/प्लैट/प्लॉट नं०								
	सैक्टर/क्षेत्र								
	शहर/नगर/गांव								
	डाकखाना								
	जिला								
	पिन कोड								
	राज्य								
2.	सम्बन्धित अधिनियम जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।								
3	टिन (यदि पंजीकृत है) (अगर पंजीकृत नहीं है तो कृपया 'अपंजीकृत' लिखें)								
4	बकाया निर्धारित/गणना की हुई राशि का विवरण जिसके लिए स्कीम का चुनाव किया गया								
	क्रम संख्या	बकाया राशि से संबंधित वित्तीय वर्ष	आर्डर नं० और दिनांक जिसके तहत बकाया राशि का निर्धारण अथवा गणना की गई *	बकाया राशि का निर्धारण अथवा गणना करने वाले प्राधिकारी का नाम और पद	स्कीम चुनने की तिथि को बकाया कर राशि	स्कीम चुनने की तिथि को 31 मार्च, 2017 तक के कुल ब्याज की बकाया राशि	स्कीम चुनने की तिथि को कुल बकाया शक्ति राशि	स्कीम चुनने की तिथि को कुल बकाया शक्ति राशि	जोड़ (5+6+7+8)
						(सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधान के तहत तक ब्याज की स्वयं	(स्कीम के खण्ड 4(1) की विवरणी के क्रम संख्या 3 के खाना 3(क) तथा 4(क) का कुल जोड़)	(स्कीम के खण्ड 4(1) की विवरणी के क्रम संख्या 3 के खाना 3(ख) तथा 4(ख) का कुल जोड़)	

						गणना करें)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
जोड़									
नोट* कृपया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आर्डर की प्रतिलिपि साथ संलग्न करें। अगर खाना 3 के आर्डर में दर्शाई गई बकाया राशि (कर, ब्याज या शक्ति) खाना 5, 6, 7, 8 में दर्शाए गए कर, ब्याज व शक्ति से अधिक है तो अंतर की राशि जमा करवाने का प्रमाण संलग्न करें।									
5	बकाया अनिर्धारित/अगणित राशि का विवरण जिसके लिए स्कीम का चुनाव किया गया								
	क्रम संख्या	बकाया राशि से संबंधित वित्तीय वर्ष	स्वयं द्वारा निर्धारित अथवा गणना किए हुए कर की राशि	सम्बन्धित अधिनियम के तहत 31 मार्च 2017 तक स्वयं द्वारा गणना किए हुए ब्याज की राशि	जोड़ (3+4)				
	1	2	3	4	5				
	1								
	2								
	3								
	4								
	जोड़								
नोट * स्वयं द्वारा निर्धारित अथवा गणना किए हुए कर की प्रतियां संलग्न करें।									
** स्वयं द्वारा गणना किए हुए ब्याज की प्रतियां संलग्न करें।									
6	कुल जोड़ (प्रारूप की क्रम संख्या 4 और 5 का जोड़)				कर	ब्याज	शक्ति 3(क)	शक्ति 3(ख)	जोड़ (1+2+3+4)
					1	2	3	4	5
7	भुगतानयोग्य व्यवस्थापन राशि	1	क्रम संख्या 6 के कॉलम 1 का 100 प्रतिशत कर	₹					
		2	क्रम संख्या 6 के कॉलम 2 का 10 प्रतिशत ब्याज	₹					
		3	क्रम संख्या 6 के कॉलम 3 का 50 प्रतिशत शक्ति	₹					
		4	क्रम संख्या 6 के कॉलम 4 का 25 प्रतिशत शक्ति	₹					
		जोड़		₹					
8	व्यवस्थापन राशि के भुगतान का विवरण टी0आर0/टी0वी0 नं0 और दिनांक सहित (भुगतान का प्रमाण संलग्न करें)	क्रम संख्या	राशि (रूप में)	टी0आर0/टी0वी0 नं0	दिनांक				
		जोड़							
नोट:- स्कीम चुनने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेज आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होंगे। सील और मोहर भी साथ लगी हो।									
14	घोषणा:								
	मैं _____ (पूरा नाम दें) पुत्र/पुत्री _____ (पिता का नाम पूरा दें), का निवासी _____ (रिहायशी पता पूरा दें), इसके द्वारा मैसर्स _____ (व्यापार की वस्तु/व्यवहारी के व्यवसाय का पूरा नाम दें) के स्वत्वधारी/हिस्सेदार/प्रबन्ध निदेशक/सम्यक रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की क्षमता में इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त ब्यौरे मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और उनमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। "बकाया देयों की वसूली के लिए हरियाणा एक बार व्यवस्थापन स्कीम, 2017" के निबन्धन तथा शर्तें पूर्ण रूप से समझने के बाद चुना है।								
स्थान: दिनांक	हस्ताक्षर (आवेदक का नाम) व्यवहारी की सील/मोहर भी लगना								

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 22nd June, 2017

No.20/ST-1/Haryana Ordinance No.1/2017. Whereas, it is expedient for the recovery of outstanding dues under the Haryana Settlement of Outstanding Dues Ordinance, 2017 now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Haryana Settlement of Outstanding Dues Ordinance, 2017, (Haryana Ordinance No.1 of 2017) the Governor of Haryana hereby a Scheme namely **the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2017**, for the period upto the 31st March, 2017, subject to the following conditions and restrictions, namely:-

Short title 1. (1) This Scheme may be called ‘The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2017.

Definitions 2. (1) For the purposes of this Scheme.-
 (a) **“Person”** means a person or any entity who is liable to pay outstanding dues whether registered or not under the relevant Act; and
 (b) **“Form”** means Form appended to this Scheme.
 (2) Words and expressions not defined under this Scheme shall have the same meaning as assigned to them under the relevant Act.

Scope of the Scheme 3 (1) The Scheme shall apply to the following relevant Acts :-
 (I) The Haryana General Sales Tax Act, 1973 (Haryana Act 20 of 1973) (Repealed)
 (II) The Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Haryana Act 6 of 2003)
 (III) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956)
 (IV) The Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (Haryana Act 13 of 2000) (Repealed)
 (V) The Haryana Tax on Entry of Goods in to Local Areas Act, 2008 (Haryana Act 8 of 2008) (under litigation)
 (VI) The Haryana Tax on Luxuries Act, 2007 (Haryana Act 23 of 2007)
 (VII) The Punjab Entertainment Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955).
 (2) A person may opt for the Scheme in any of the relevant Act(s) for any period covered by the Scheme.
 (3) A person shall make separate application in Form OTS-1 for settlement of outstanding dues, under each Act for which he intends to opt for the Scheme.

Settlement of outstanding dues. 4. (1) A person opting for the settlement of outstanding dues under this Scheme shall have to pay, in lieu of outstanding dues, by way of settlement, an amount depending upon the category of outstanding dues as mentioned hereunder:-

Serial Number	Category of outstanding dues	Settlement Amount to be paid in lieu of outstanding dues	Extent of waiver
1	2	3	4
1	Tax	Full amount of tax levied or leviable for the period upto 31 March, 2017 under the Acts covered under the Scheme will be paid	No waiver

2	Interest	10% of the amount of interest levied or leviabale for the period upto 31 March, 2017 under the Acts covered under the Scheme, will be paid	90% waiver of amount of interest.
3	Penalty	(a) 50% of the penalty amount levied for offences of suppression of tax or attempt to evade tax under the relevant Acts. (b) 25% of the penalty amount for other offences under the relevant Acts.	(a) 50% of the penalty amount. (b) 75% of the penalty amount.

- (2) On payment of settlement amount as per clause (1) the interest payable for the period from the 1st April, 2017 to the date of payment of settlement amount on outstanding dues covered under the Scheme shall also stands waived.
- (3) The settlement amount payable under the Scheme for a relevant Act shall be deposited under the Treasury Head of such relevant Act.

Form of the application.

5. A person opting for the Scheme shall apply to the Assessing Authority on or before 28 June, 2017 in Form OTS-1 alongwith the proof of full payment of settlement amount payable as per column 3 of table provided in clause 4 of the Scheme.

Examination of Form.

6. (1) A committee consisting of two senior most Excise and Taxation Officers (other than the assessing authority concerned) and the Assessing Authority concerned, posted in the district shall examine Form OTS-1 within forty five days of the receipt of such Form and make report to the concerned Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST) .
- (2) The Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST), where he has reasons to believe that the information provided by the person in Form OTS-1 is incomplete or incorrect in material particulars, he may, for reasons to be recorded in writing, serve a deficiency notice upon the person directing him to show cause as to why his application should not be rejected or as to why he should not be required to pay the amount payable that remains unpaid or short paid as per provisions of this Scheme.
- (3) The Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST) after considering the reply to the showcause, shall pass an order of settlement or order of rejection, within a period of ninety days of the receipt of report from the committee. In case the Form is rejected, the amount paid by the person alongwith the Form shall be adjusted against his liabilities under the Act and shall not be refunded.
- (4) The Excise and Taxation Commissioner may extend time period mentioned in clauses (1) and (3) above in exceptional cases, by upto thirty days.

Abatement of pending cases.

7. The order of settlement passed by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (ST) shall be deemed as full and final settlement of dues relating to which the Scheme is opted. All the proceedings pending before any court or authority related to the outstanding dues covered under the Scheme shall be deemed to have been abated. All the pending proceedings before any court or statutory authority shall be kept in abeyance till the order of settlement or rejection is passed:

Provided that the time period lost on account of proceedings under this Scheme shall be excluded in computing the period of limitation specified under the relevant Act, to finalize the proceedings kept in abeyance under this Scheme.

Removal of doubts.

8. (1) Nothing contained in this Scheme shall be construed as conferring any benefit, concession or immunity on the person other than the benefit, concession or immunity granted under this Scheme.
- (2) In case of any ambiguity or dispute arising out of this Scheme, the decision of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana thereon shall be final.

Form- OTS-1

**APPLICATION FORM FOR OPTING THE HARYANA SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF
OUTSTANDING DUES, 2017**

(see clause 5)

Serial Number		
1.	Name of the Person	
	PAN	
	Mobile	
	E-mail id	
	SCO/Booth/Shop/Building/Flat/Floor No.	
	Sector/Area	
	City/Town/Village	
	Post Office	
	District	
	Pin Code	
	State	
2.	Name of the relevant Act for which this application is submitted.	
3.	Registration No. under the relevant Act (if registered) (Please mention 'unregistered' if not registered)	

4.	Details of outstanding dues assessed/quantified for which scheme is opted							
Serial Number	Financial year to which outstanding dues relate	Order No... Date vide which outstanding dues were created *	Name and designation of the authority who created outstanding dues	Tax outstanding as on date of option of the scheme	Total Interest outstanding as on date of option of the scheme upto the 31 st March, 2017. (to be self calculated for remaining period upto 31 st March, 2017 as per provisions of the relevant Act)	Total Penalty amount outstanding as on date of option of the scheme (as per totals of column 3 (a) and column 4 (a) of serial No.3 of the table in clause 4(1))	Total Penalty amount outstanding as on date of option of the scheme (as per totals of column 3 (b) and column 4 (b) of serial No.3 of the table in clause 4(1))	Total (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
Total								

Note:- *Please enclose copy of order for each financial year. Also submit proof of deposit of difference amount, if the outstanding dues (tax or interest or penalty) **as per order in column 3** are more than the tax, interest or penalty reflected in column 5, 6, 7 and 8.

5.	Details of outstanding dues unassessed/unquantified for which scheme is opted							
	Serial Number	Financial year to which outstanding dues relate	Amount of tax self assessed or quantified. *	Amount of interest self calculated upto the period 31 st March, 2017 as per provisions of the relevant Act. **	Total (3+4)			
	1	2	3	4	5			
	1							
	2							
	3							
	4							
	Total							
Note:- * Please attach copy of self assessment / quantification of tax. **Please attach copy of self calculation of interest.								
6	Grand Total (Totals of form's serial No. 4 and 5)			Tax	Interest	Penalty 3(a)	Penalty 3(b)	Total (1+2+3+4)
				1	2	3	4	5
7	Settlement amount payable.	(1)	100% of tax in column 1 of serial No.6	Rs.				
		(2)	10% of interest in column 2 of serial No.6	Rs.				
		(3)	50% of penalty in column 3 of serial No.6	Rs.				
		(4)	25% of penalty in column 4 of serial No.6	Rs.				
	Total			Rs.				
8	Details of payment of settlement amount with TR/T.V. no. and Date (Please attach proof of payment)	Serial Number	Amount (in Rs.)	TR/TV No.	Date			
		Total						
Note:- All the documents attached with this application must be signed by the applicant applying for the Scheme. Seal/stamp of the person be also affixed thereon.								
9. Declaration:								
I _____ (give full name) son/daughter of _____ (give name of the father), resident of _____ (give complete residential address), hereby declare in the capacity of _____ (proprietor/partner/managing director/duly authorized signatory) of M/s _____ (give full name of the business entity/dealer), having its business address at _____ (give complete address of the dealer) that the contents contained hereinabove are true and correct and that nothing has been concealed therein. The Haryana Settlement Scheme for recovery of outstanding dues, 2017 has been opted after fully understanding the terms and conditions.								
Signature								
(Name of the applicant)								
Also affix Seal/ stamp of the dealer								
Place:								
Date:								

SANJEEV KAUSHAL
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Excise and Taxation Department